झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–21.08.2025 को पलामू जिला में जनवितरण प्रणाली केन्द्र एवं पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित औचक निरीक्षण प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–21.08.2025 को पलामू जिला का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा उक्त जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–विद्यालय में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण एवं जनवितरण प्रणाली केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जनवितरण प्रणाली केन्द्र

1. **राशन डीलर, श्री जग्गु चौधरी, अनुज्ञप्ति सं0–18/91, ग्राम–विरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू के राशन दुकान का औचक निरीक्षण।**

- दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित पलामू जिले के राशन डीलरों के विरूद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने से सम्बन्धित मामले में दिनांक–21.08.2025 को आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा राशन डीलर, श्री जग्गु चौधरी, अनुज्ञप्ति सं0–18/91, ग्राम–विरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई लाभुकों से बातचीत के क्रम में जानकारी मिली कि उन्हें हरा राशन का खाद्यान्न अब तक नहीं मिला है। डीलर से पूछने पर जानकारी मिली कि उन्हें माह अगस्त का हरा राशन कार्ड का आवंटन अब तक नहीं मिल पाया है। आयोग द्वारा दिनांक–22.08.2025 तक हरा राशन कार्ड का आवंटन राशन डीलर को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- इसके अतिरिक्त राशन कार्डधारी श्रीमती कुमरिया देवी, श्रीमती किस्मतिया देवी एवं किरण देवी द्वारा 03 माह का राशन प्राप्त होने, पूरा राशन मिलने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई।
- उक्त राशन डीलर की कार्डधारी श्रीमती ललिता देवी के पति द्वारा बताया गया कि उन्हें माह अगस्त का खाद्यान्न नहीं मिला है। राशन डीलर से पूछने पर उनके द्वारा झगड़ा किया जाता है।
- उक्त राशन डीलर की कार्डधारी कुन्ती देवी एवं सुशीला देवी द्वारा बताया गया कि उन्हें 03 माह के स्थान पर एक ही माह का खाद्यान्न मिला है। राशन डीलर द्वारा अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न नहीं देने एवं 15 कि0ग्रा0 खाद्यान्न के स्थान पर 13 कि0ग्रा0 खाद्यान्न देने की बात बताई गई।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उक्त डीलर को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि किसी भी लाभुक के खाद्यान्न में कटौती नहीं करने, पूरा खाद्यान्न देने एवं समय पर देने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

2. **राशन डीलर, निषाद मछुआरा स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्ति सं0–05/11, ग्राम–विरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू के राशन दुकान का औचक निरीक्षण।**

- उक्त राशन डीलर की कार्डधारी श्रीमती रिंकी देवी, सुनैना देवी एवं श्रीमती रजिया कुंवर द्वारा बताया गया कि उन्हें माह जून एवं जुलाई, 2025 का खाद्यान्न मिला है। माह अगस्त का खाद्यान्न अब तक नहीं मिला हैं। यह भी कि राशन डीलर द्वारा खाद्यान्न में कटौती भी किया जाता है।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उक्त डीलर को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि किसी भी लाभुक के खाद्यान्न में कटौती नहीं करने, पूरा खाद्यान्न देने एवं समय पर देने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

पी0एम0 पोषण

3. **राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय (U-Dise Code 20021702901), ग्राम–बिरजा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला पलामू का औचक निरीक्षण।**

- निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के हेडमास्टर अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में कुल–03 शिक्षक हैं। बच्चों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि उन्हें भोजन में ज्यादातर दाल, चावल एवं आलू चोखा ही मिलता है। हरी सब्जी बहुत कम मिलता है। बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा दिया जाता है।
- निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि आज दिनांक–21.08.2025 को अपराह्न 02.:00 बजे के बाद भी बच्चों को भोजन नहीं दिया गया था। छोटे–छोटे बच्चे भूखे अपनी कक्षा में बैठे हुए पाए गए। पूछने पर विद्यालय के पारा शिक्षक, श्री राम भरत मेहता द्वारा बताया गया कि छुट्टी के समय बच्चों को भोजन दिया जाता है। बच्चों को जल्दी खाना देने से वे लोग विद्यालय से चले जाते हैं। बच्चों को जब बैठा कर भोजन परोसा जा रहा था, तो पाया गया कि बच्चों को केवल दाल, चावल एवं चोखा ही दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों को समय पर एवं मेन्यू के अनुसार भोजन देने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

4. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तरहसी, जिला–पलामू का औचक निरीक्षण।**

- आयोग द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तरहसी, जिला–पलामू के निरीक्षण के दौरान छात्राओं द्वारा बताया गया कि जन्माष्टमी त्योहार के कारण उपवास में रहने एवं उसी रात में पुड़ी, सब्जी एवं खीर खाने के बाद पेट में एसिडिटी होने के कारण वे लोग बीमार हो गये थे। यह भी बताया गया कि उनमें से कुछ छात्राएँ पहले से ही बीमार थे।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा विद्यालय की शिक्षिकाओं को सावधानी बरतने एवं साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

(21)

- विद्यालय की छात्राओं द्वारा भोजन में कोई समस्या नहीं होने एवं मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात बताई गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

इसके साथ पलामू जिला का औचक निरीक्षण समाप्त हुआ।

Sp 8.9.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

1. राशन डीलर, श्री जग्गु चौधरी, अनुज्ञप्ति सं0–18/91, ग्राम–विरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू के राशन दुकान का औचक निरीक्षण।

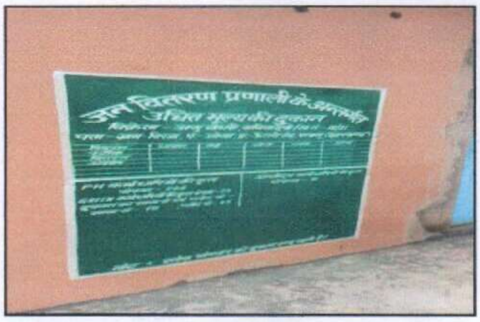

2. राशन डीलर, निषाद मछुआरा स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्ति सं0–05/11, ग्राम–विरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू के राशन दुकान का औचक निरीक्षण।

3. राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय (**U-Dise Code** 20021702901), ग्राम–बिरजा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, जिला पलामू का औचक निरीक्षण।

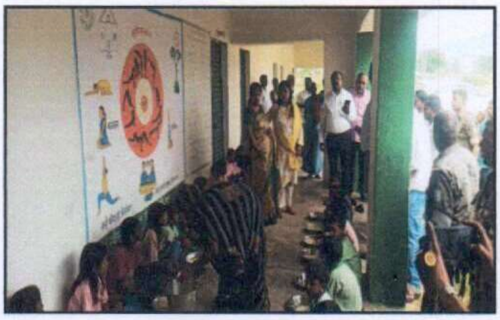

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तरहसी, जिला–पलामू का औचक निरीक्षण।